रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082022-238259
CG-DL-E-22082022-238259

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3759] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2022/श्रावण 31, 1944
No. 3759] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2022/SHRAVANA 31, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2022

का.आ. 3933(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में दिनांक में 4 अगस्त 2022 को प्रकाशित की गई दिनांक 4 अगस्त 2022 की समसंख्यक अधिसूचना में : -

(i) पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 5 में 17 राज्य सरकारों के स्थान पर, 10 राज्य सरकारों को पढ़ा जाए;

(ii) पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 6 में 17 राज्यों के स्थान पर, 10 राज्यों को पढ़ा जाए;

(iii) पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 15 में 17 राज्यों के स्थान पर, 10 राज्यों को पढ़ा जाए;

(iv) पृष्ठ 2 पर, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड और राजस्थान राज्यों का नाम सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) और सरोगेसी (विनियमन) (कठिनाइयों को दूर करने का) आदेश 2022 के पैराग्राफ 2 के अंतर्गत तालिका में क्रमशः क्र. सं. 3, 4, 6, 9, 10, 12 और 13 का लोप किया गया है और सही तालिका को निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

1. असम	5. झारखण्ड	9. उत्तर प्रदेश
2. बिहार	6. मेघालय	10. उत्तराखंड
3. गुजरात	7. सिक्किम	
4. हिमाचल प्रदेश	8. त्रिपुरा	

2. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में दिनांक 8 अगस्त 2022 को प्रकाशित किए गए, दिनांक 8 अगस्त 2022 के समसंख्यक शुद्धिपत्र को वापस ले लिया जाता है।

[फा. सं. यू.11019/133 /2022-एचआर]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health Research)

CORRIGENDA

New Delhi, the 22nd August, 2022

S.O. 3933(E). — In the Notification of even No. dated 4th August, 2022, as Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) on 4th August 2022:-

(i) at page 3, line 10 for 17 State Governments, read 10 State Governments;

(ii) at page 3, line 13 for 17 States, read 10 States;

(iii) at page 3, line 22 for 17 States, read 10 States;

(iv) at page 3, the names of the States Chhattisgarh, Goa, Haryana, Karnataka, Manipur, Nagaland, and Rajasthan mentioned at S.No. 3, 4, 6, 9, 10, 12 and 13 respectively in table under para 2 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) (Removal of Difficulties) Order, 2022 stand omitted and the corrected table shall read as under:-

1. Assam	5. Jharkhand	9. Uttar Pradesh
2. Bihar	6. Meghalaya	10. Uttarakhand
3. Gujarat	7. Sikkim	
4. Himachal Pradesh	8. Tripura	

2. The Corrigenda of even no. dated 8th August, 2022, as Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) on 8th August 2022 stands withdrawn.

[F. No. U.11019/133/2022-HR]

GEETA NARAYAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA